कार्यालय
परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
बड़नगर
जिला – उज्जैन

मेन्युअल

सूचना के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी

बिंन्दु क्रमांक – 01

प्रषासनिक प्रतिवेदन

महिलाओं और बालक – बालिकाओं के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यो को सुव्यस्थित रूप से क्रियान्वित करने एवं पर्याप्त गति देने के लिये प्रदेष में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस विभाग को हस्तांतरित की गई । वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया । महिला एवं बाल विकास विभाग की संरचना सचिवालय स्तर , संचनालय स्तर , जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर है । उज्जैन जिले के बडनगर विकासखण्ड में 172 आंगनवाडी केन्द्र के साथ एकीकृत बाल विकास परियोजना 1992 से संचालित है ।

विभाग के दायित्व : –

01. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।
02. बच्यों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषणा से बचना ।
03. महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखनाा । महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओ के प्रति जागरूकताा बढाना ।
04. प्रदेष में विभिन विभागो ंद्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वागीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समक्न्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुॅंच सकें ।
05. महिलाओं ंकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वय ।

———— : *परियोजना स्तरीय विभागीय संरचना* : ————

परियोजना अधिकारी

सहायक सांख्यिकी अधिकारी

कार्यालयीन सहायक ग्रेड I

सहायक परियोजना अधिकारी

कार्यालयीन सहायक ग्रेड 2, ग्रेड 3

पर्यवेक्षक /स0म0बा0वि0वि0 अधिकारी

भ्रत्य

आ0 वा0 कार्यकर्त्ता

कार्यालय की विभीन्न शाखाओं के कार्य/ दायित्व

क्रमांक	कर्माचारी का नाम	शाखा का नाम
01.	श्री ए0 के0 परिहार सहायक सांख्यिकी अधिकारी	ए0एस0ओ0 शाखा , स्वसहायता समूह शाखा , पोषण आहार शाखा , विभिन्न बैठकों का आयोजन , बाब संजीवनी , गोकुल ग्राम 11 सूत्रीय कार्यक्रम
02.	श्री लक्ष्मण रिमझा कार्यालयीन सहा0 ग्रेड –I	लेखा शाखा , टाईसिंग कार्य
03.	श्रीमति निर्मला धोलपुरे कार्यालयीन सहा0 ग्रेड III	आवक, जावक शाखा भण्डार शाखा , वाहन शाखा
04.	श्रीमति साधना सिंह पर्यवेक्षक	इंगोरिया परिश्रेंत्र
05.	श्रीमति सुनिता केकरे पर्यवेक्षक	खरसोदखुर्द
06.	श्रीमति आशा गट्टानी पर्यवेक्षक	बड़नगर (ग्रामीण)+ बड़नगर (षहर)
07.	श्रीमति हेमकुमारी बुढाना पर्यवेक्षक	जहांगीरपुर
08.	श्री हेमन्त जायसवाल पर्यवेक्षक	भाटपचलाना
09.	श्रीमति संगीता सक्सेना पर्यवेक्षक	पीर झलार परिश्रेंत्र
10.	श्री शरद दुबे पर्यवेक्षक	जॅहागीरपुर परिश्रेंत्र
11.	श्रीमती स्नेहलता सोनगरा संविदा पर्यवेक्षक	खरसोद कला

बिंन्दु क्रमांक – 02

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की जानकारी

श्रीमति नीलम नासवा , परियोजना अधिकारी

कुल परिलब्धिया

1:	वेतन	रूपये	15280
2:	ग्रेड–पे	रूपये	3600
3:	महॅगाई भत्ता	रूपये	3021
4:	मकान किराया भत्ता	रूपये	194
5:	अन्य प्राप्तियॉ	रूपये	....

कुल परिलब्धियॉ रूपये 22095

कर्त्तव्य :–

1: परियोजना स्तर पर बाल विकास सेवा योजना का प्रमुख समस्त कार्यकम/योजनाओ का कियान्वयन एवं दिन प्रतिदिन क प्रशासनिक कार्यो की देखरेख ।

2: समय–समय पर समस्त परिश्रेत्रो की बैठकों में उपस्थित होना , 201 आ0 वा0 केन्द्रों का निरीक्षण , गृह भेंट ।

3: पर्यवेक्षकों की बैंठक आहूत करना एवं समय–समय पर समीक्षा करना ।

4: परियोजना एवं आ0 वा0 तथा पर्यवेक्षक मुख्यालयों के रिकार्ड का उचित रख रखाव करवाना एवं निरीक्षण करना ।

5: तहसील स्तर पर होने वाली विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेकर विभाग की प्रगति से अवगत कराना ।

6: पोषण आहार एवं अन्य सामग्रीयों की उपालब्धता सुनिश्चित करना ।

बिन्दु क्रमांक – 03

कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रकिया

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

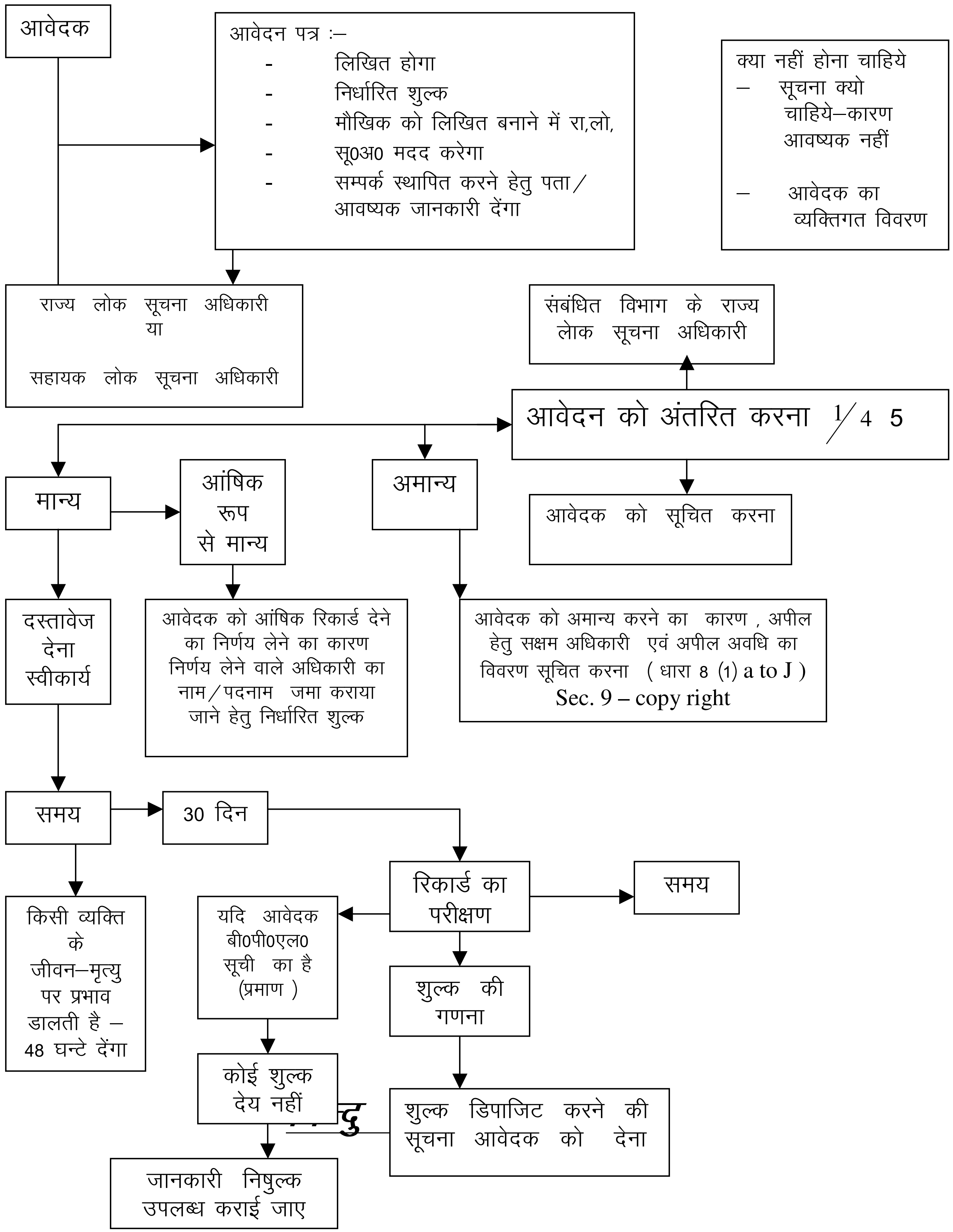

समय – सारणी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

1: आवेदन प्राप्ति की दिनांक ....

2: आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्त्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को देगा ।

3: संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 03 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा की ऐसा अभिलेख धारा 08 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है ।

शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित ना होकर या

अन्यत्र शाखा या विभाग से संबधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे

कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकररी को भेज देगा ।

4: लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अध्किारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर

अधिकातम 3 (तीन) कार्य दिवस में आवेदन को

सूचना/प्रतिलिपी/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगें ।

5: लोक सूचनाा अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 (तीस) कार्य दिवसो की समयावधि में वांछित

दस्तावेज़/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाहीं कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/ विभाग से संबंधित है तो ऐसे लोक सूचनाा अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 (पॉच) कार्य दिवस में अंतरित कर देगें। साथ ही आवेदनकर्त्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतंरण की सूचना देंगं ।

बिंन्दु क्रमांक – 05

कार्यालय में उपलब्ध होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम , रेग्युलेशन , मेन्युअल की सूची

01– मध्यप्रदेश अवकाश नियम
02– मध्यप्रदेश सर्विस मेन्युअल भाग–1 एवं भाग–2
03– मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र
04– मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग–1 एवं भाग–2
05– मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
06– मध्यप्रदेश यात्राा भत्ता नियम
07– मध्यप्रदेश विभागीय जॉच प्रकिया संहिता
08– मध्यप्रदेश कोषालय संहिता
09– वित्तीय संहिता भाग–1 एवं भाग–2
10– मध्यप्रदेश स्टोर्स पर्चेस रूल
11– मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम
12– चिकित्सा परिचर्या नियम 1958
13– मध्यप्रदेश वेतन निर्धारण नियम
14– मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंन्शन नियम
15– सिविल प्रीकिया संहिता भाग–1, भाग–2, भाग–3, भाग–4
16– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी सुविधाऐं
17– विधिक अपराधिक संग्रह
18– महिलाओं का उत्पीड़न एवं अधिनियम

बिंन्दु क्रमांक — 06

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखो की सूची

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	समाहित जानकारी
01:	केशबुक	आय एवं व्यय से संबधित प्रविष्ठी
02:	व्हाउचर पंजी	भुगतान किये गये देयको के व्हाउचर्स
03:	कंटिजेन्सी रजिस्टर	भुगतान हेतु प्राप्त देयकों की प्रविष्ठी
04:	बिल रजिस्टर	भुगतान हेतु तैयार देयको की प्रविष्ठी
05:	चैक रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त चेंको की प्रविष्ठी
06:	एरोल रजिस्टर	भुगतान की प्रविष्ठी
07:	चिकित्सा देयक पंजी	अधिकारीं / कर्मचारी से प्राप्त चिकित्सा देयको के भुगतान की प्रविष्ठी
08:	यात्रा देयक पंजी	अधिकारीं / कर्मचारी से प्राप्त यात्रा देयको के भुगतान की प्रविष्ठी
09:	बैंकर्स चैक एवं ड्राप्ट पंजी	भुगतान हेतु प्राप्त बैंकर्स चेक एवं ड्राप्ट की प्रविष्ठी
10:	स्थायी सामग्री पंजी	व्रय की गई सामग्री की प्रविष्ठी
11:	स्टेशनरी पंजी	प्राप्त स्टेशनरी की प्रविष्ठी
12:	आवक पंजी	प्राप्त पत्रों की पंजी में प्रविष्ठी
13:	जावक पंजी	कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्रविष्ठी
14:	सर्विस स्टॉम्प पंजी	बाहर भेजे जाने वाले पत्रों पर लगाये गये स्टॉम्प की प्रविष्ठी
15:	टी 0 एल 0 पंजी	निर्धारित समय सीमा के पत्रों की प्रविष्ठी
16:	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है
17:	आकस्मिक अवकाश पंजी	कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की प्रविष्ठी

बिंन्दु क्रमांक – 07

परामर्शदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी

निरंक

बिंन्दु क्रमांक – 08

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड , परिषद एवं समितियों की जानकारी

निरंक

बिंन्दु क्रमांक – 09 एवं 10

क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन
01:	श्रीमति नीलम नासवा ,	परियोजना अधिकारी	15280
02:	श्री ए0 के0 परिहार	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2340
03:	श्री लक्ष्मण रिमझा	कार्यालयीन सहायक गेड–1	12910
04:	श्रीमति निर्मला धोलपुरे	कार्यालयीन सहायक गेड–3	8900
05:	श्रीमति साधना सिंह	पर्यवेक्षक	13720
06:	श्रीमति सुनिता केकरे	पर्यवेक्षक	13970
07:	श्रीमति आशा गट्टानी	पर्यवेक्षक	12050
08:	श्रीमति हेमकुमारी बुढाना	पर्यवेक्षक	15240
09:	श्री हेमन्त जायसवाल	पर्यवेक्षक	14770
10:	श्रीमति संगीता सक्सेना	पर्यवेक्षक	13720
11:	श्री शरद दुबे	पर्यवेक्षक	13970
12:	श्री ओमप्रकाश बैरवा	भृत्य	6670
13:	श्री रमेश निगम	चौकीदार	कलेक्टोरेट पर
14.	श्रीमती स्नेहलता सोनगरा	संविदा पर्यवेक्षक	5000

बिंन्दु क्रमांक – 11

मदवार बजट आंबटन संबंधी जानकारी

क्रमांक	*मद का नाम*	*प्राप्त आंबटन (रूपये लाख में)*
: 1 :	: 2 :	: 3 :
01:	महिला जाग्रति शिविर	**0.15**
02:	किशोरी शकि योजना	**1.10**
03:	आयुष्मति योजना	योजना बन्द है ।
04:	मातृत्व सहायता योजना	योजना बन्द है ।
05'	अति गरीब परिवार की गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता	योजना बन्द है ।
06	लाड़ली लक्ष्मी योजना	जिला स्तर पर

बिन्दु क्रमांक – 12

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

1: **राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना** :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है । योजनान्तर्गत धनराषि का आवंटन भारत सरकार द्वारा सीधे जिला बपंचायतों को दिया जाता है । जिला पंचायत द्वारा जिले की सभी ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायों को अग्रिम के रूप में राषि उपलब्ध करवाई जाती है । ग्राम पंचायत को सीधे ही राषि का भुगतान किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत सहायता की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की गई है :– 1, गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष हो 2, गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाला हो 3, सहायता राषि केवल प्रथम 2 जीवित जन्म तक ही देय होगी 4, सहायतव राषि 500 रूपये होगी जो प्रसव से 12 से 18 सप्ताह पूर्व एक मुष्त दी जाएगी । वर्तमान में यह योजना बन्द हो गई है ।

2: **आयुष्मति योजना** :– इस योंजना के अन्तर्गत भूमिहीन परिवार की किसी भी उम्र की ग्रमीण महिला/लड़की की जिला चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में रूपये 400 तक की स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है । इसके अतिरिक्त महिला के साथ आने वाले परिवार के एक सदस्य को दो समय का भोजन एवं रहने की सुविधा निःषुल्क उपलब्ध कराई जाती है । एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने की स्थिति में रूपये 1000 तक की स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती हे । वर्ष 2001–2002 से उक्त योजना का विस्तार विकासखण्ड के सामाजिक केन्द्र पर भी किया है । योजना बन्द है ।

3: **किशोरी शक्ति योजना** :– इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली बातो की षिक्षा व प्रषिक्षण दिया जाता है । मासिक रजोधर्म, टीकाकरण, प्रत्येक 6 माह में स्वास्थ्य जॉच, छोटी बिमारियों का इलाज, पेट में कीड़ो का उपचार, खून की कमी विटामिन सी की कमी का दूर करना, घेंघा रोग से मुक्ति एवं रेफरल सेवा आदि । उक्त योजना विकासखण्ड स्तर पर पंचायत स्तर पर आयोजित कर बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है ।

4: **दत्तक पुत्री शिक्षा योजना** :– इस योजना का उद्देष्य यह है कि ऐंसी बालिकाऐं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती है , उन्हें जनसहयोग से आर्थिक सहायता दिलाई जा सके ताकि उनकी पढ़ाई प्रारम्भ हो सके तथा जारी रखी जा सके इस योजना से जहॉ जनता में बालिका षिक्षा के महत्व को समझने एवं चालू रखने की इच्छा जाग्रत होगी वहॉ ऐसे व्यक्तियों , जो इस पुनित कार्य में योगदान देना चाहते है , एक योग्य माध्यम प्राप्त हो सकेंगा । जनसहयोग से चलाई जाने वाली इस योजना से शासन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । किन्तु प्रोत्साहन के लिये पुरस्कार आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की जाऐगी ।

5: **ग्राम्या योजना** :– प्रदेष में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक दैनिक हाट बाजार लगते है जिनमें कि अधिकांषतः ग्रमीण क्षेत्र की महिलाऐं सब्जी , फला, चूड़िया आदि बेचती हैं । कार्यषील पूंजी के अभाव में इन्हे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने औ्र व्यवसाय बढ़ाने में कठिनाई होती है । ऐसी महिलाओं को कार्यषील पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेष में महिला आर्थिक विकास निगम के द्वारा ग्राम्या योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के तहत महिलाओं को कार्यषील पूंजी रूपये 500 बिना व्याज के दी जाती है । जिसकी 10 प्रजि हाट बाजार के मान से वसूली की जाती है तथा प्रथम राषि की वसूली पूर्ण होने पर द्वितीय किष्त पर रूपये 1500 का ऋण प्रदाय किया जाता है ।

6: **महिला जाग्रति शिविर** :– महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, सामाजिक कुरीतियों, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानेां की जानकारी देनें, दहेज प्रथा, बाल विवाह इन सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु शासन द्वारा बनाये कानूनो की जानकारी देनें, जाग्रति षिविरों में प्रदर्षनी कठपुतली एवं लोकगीत के द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के उद्देष्य से जाग्रति षिविरों को आयोजन किया जाता है ।

7: **स्व–सहायता समूह** :– स्व–सहायता समूह अन्तर्गत महिलाओ ं के सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढीकरण हेतु उनके समूह गठित किये जाते है । उनमें बचत की आदत डालकर आपस में आवष्यकता एवं रूची के अनुसार स्व–रोजगार एवं परम्परागत एवं गैर परम्परागत व्यवसाय करने हेतु पंषिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है ताकि महिलाऐं आर्थिक रूप से सषक्त हो सकें । उदाहरण :– भैस पालन, बकरी पालन, दोना पत्तल, किराना दुकान, खाद–बीज क्रय आदि ।

8: **आई0सी0डी0एस0 सेवाऐं** :– इस योजना के अन्तर्गत 6 सेवाऐं दी जाती है :–

1: **पूरक पोषण आहार**

2: **स्वास्थ्य जॉच**

3: **प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल/परामर्श सेवाऐं**

4: **रोग प्रतिरक्षण / टीका लगाना**

5: **पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा**

6: **स्कूल पूर्व अनोपचारिक शिक्षा**

9: **अति गरीब परिवार की महिलाओं कों प्रसव पूर्व सहायता** :–

राज्य शासन द्वाारा प्रदेष की अति गरीब महिलाओं को प्रथम दो जिवित बच्चों के प्रसव तक प्रति प्रसव रूपये 500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मापदण्ड निम्नानुसार है :–

1: गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या अधिक हो ।

2: गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अति गरीब हो ।

3: सहायता राषि केवल प्रथम 02 जिवित बच्चों के प्रसव हेतु देय है ।

10: लाड़ली लक्ष्मी योजना :–

ऐसी बालिकाएं :–

- जिनका जन्म दिनांक 01 जनवरी– 2006 को या उसके बाद हुआ हो ।
- प्रदेश के किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो ।
- जिनके माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, आयकर दाता न हो और उनकी दो या दो से कम संतान हो तथा जिनके माता–पिता ने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो ।

या

प्रदेश के किसी अनाथालय अथवा किसी बालिका अनुरक्षण गृह में निवासरत हो ।

योजना का लाभ ले सकते है ।

बिंन्दु क्रमांक – 13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची

वर्ष 2005 – 2006

क्रमांक	योजना का नाम	हितग्राहियो की सूची
01.	मातृत्व सहायता योजना	सूची संलग्न है
02.	अति गरीब परिवार की महिला को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता	सूची संलग्न है
03.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	सूची संलग्न है ।
04.		
05.		

बिंन्दु क्रमांक – 14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारीयों की सूची

वर्ष 2005 – 2006

क्रमांक	योजना का नाम	हार्ड कॉपी	कम्प्यूटर में
01:	मातृत्व सहायता योजना	उपलब्ध	सी0 डी0
02:	अति गरीब परिवार की महिला को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता	उपलब्ध	सी0 डी0
03:	किषोरी शक्ति योजना (मास्टर ट्रेनर)	उपलब्ध	सी0 डी0
04:	लाड़ली लक्ष्मी योजना	उपलब्ध	सी0 डी0
05:			
06':			

बिंन्दु क्रमांक – 15

आम नागरिको को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाऐं

सुंविधा	प्रभारी अधिकारी का नाम	सूचना पाप्ती का समय	कार्यालय का टेलीफोन नम्बर
मौखिक या आवेदन द्वारा	श्रीमती नीलम नासवा (परियोजना अधिकारी)	प्रातः 10.30 से 5.30 तक शासकीय अवकाश को छोड़कर	223466

बिंन्दु क्रमांक – 16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	कार्यालय सहायक ग्रेड–1	जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

बिंन्दु क्रमांक – 17

प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से है

1: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक कार्यकम अधिकारी नियुक्त लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचनाा अधिकारी को लिखित प्रारूप में आवेदन कर विहित सूचना / अभिलेखो की प्रति प्राप्त कर सकता है । आवेदन–पत्र का फार्म सूचनाा अधिकारी कार्यालय से विहित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन–पत्र की रसीद प्रदान की जावेंगी, आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।

2: अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित कारणों द्वारा चाही गयी सूचना / अभिलेखों की प्रति से इन्कार किया जा सकता है , जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेंगी । आवेदक विषयान्तर्गत इस आदेश के विरूद्व अपील कर सकता है ।

3: गरीबी रेखा के नीचें रहने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही जाने वाली जानकारी शुल्क से विमूक्त रहेंगी । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कठिनाई या समस्या के लिये लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है ।

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

<u>बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)</u>

क्रमांक/आईसीडीएस/सू.अधि./09/ बड़नगर दिनांक

प्रति,

कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला उज्जैन

विषयः– सूचना का अधिकार 17 बिन्दुओं की जानकारी अद्यतन करने विषयक ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/सू.अ./मबावि/2009/3220 दिनांक 27–11–09

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार 17 बिन्दुओं की जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' की जानकारी तैयार कर साप्ट कॉपी एवं हार्ड कापी 02 प्रतियों संलग्न आपकी ओर प्रेषित् है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
बड़नगर, जिला उज्जैन

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना बड़नगर जिला उज्जैन

प्रपत्र – अ

जिले के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन/षुल्क तथा सूचना प्रदाय करने हेतु वसूल की गयी राषि का विवरण											
दिनांक 01–01–2009 से दिनांक 30–09–2009 तक											
जिला – उज्जैन					संभाग – उज्जैन						
क्र0	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/ सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 01.01.09 को लंबित आवेदन की संख्या	दिनांक 30.09.09 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.09 से दिनांक 30.09.09 तक की अवधि में निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.10.09 को लंबित आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या, जिसमें जानकारी देने से मना किया गया	लोक सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राषि का विवरण		
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राषि	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राषि	कुल राषि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती नीलम नासवा परि.अधि. बड़नगर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
बड़नगर, जिला उज्जैन

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना बड़नगर जिला उज्जैन

प्रपत्र – ब

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी								
जिले के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन/षुल्क तथा सूचना प्रदाय करने हेतु वसूल की गयी राषि का विवरण								
दिनांक 01–01–2009 से दिनांक 30–09–2009 तक								
जिला – उज्जैन					संभाग – उज्जैन			
क्र0	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/ लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 01.01.09 को लंबित अपीलों की संख्या	दिनांक 30.09.09 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 30.09.09 तक निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 01.10.2009 को लंबित अपीलों की संख्या	ील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राषि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	महिला एवं बाल विकास विभाग		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	थ्नरंक

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
बड़नगर, जिला उज्जैन